श्री बागड़ी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप का फ़ैसला जायज था, लेकिन नुक्ता-चीनी की वजह से आप ने गलत फ़ैसला कर लिया ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मुझे करना पड़ता है ।

श्री बागड़ी : आप खुद कमजोरी में आ कर कानून को तोड़ते हैं ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सिलसिले में सिर्फ़ एक जानकारी चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कहीं इस मामले में ऐसी अड़चन तो नहीं आती कि गृह मंत्री या दूसरे सम्बन्धित मंत्रालय स्वीकृति देने में रुकावट डालते हैं—"हां" "न" में देर लगाते हैं ।

12.33 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

AGITATION LAUNCHED BY THE REPUBLICAN PARTY ON 6-12-1964 AND THE COUNTRY-WIDE ARRESTS OF ITS VOLUNTEERS

Shri Maurya (Aligarh): I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

> "Agitation launched by the Republican Party on the 6th December, 1964, and the country-wide arrests of its volunteers."

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): Sir, a satyagraha was started by the Republican Party of India on December 6, 1964 with a view to drawing the attention of the Government to its charter of demands. In the course of the satyagraha, workers of the party courted arrest by trying to enter Government Reserved Forests in different States and cutting the trees, and trespass into municipal or Government land and public places and buildings. Workers of the Party who violated the law or were likely to disturb the peace were arrested by the State Government but several of them have since been released.

The main demands of the party are: installation of a portrait of the late Dr. B. R. Ambedkar in the Central Hall of the Parliament, enjoyment of the land of the nation by actual tillers, allotment of possession of idle and waste land to landless labourers, adequate distribution of foodgrains and control over rising prices, improvement of the lot of slum-dwellers, full implementation of the Minimum Wages Act, 1948, extension of privileges guaranteed by the Constitution to such of these scheduled castes who have embraced Budhism, completion of reservation in services to scheduled castes and scheduled tribes by 1970 and proper enforcement of the Untouchability (Offences) Act, 1955. It will be observed that these demands deal with broad and general issues which cannot be decided on the spur of the moment. As the House is aware, Government has kept the interest of backward classes constantly in view and devoted considerable amounts to various schemes in this regard. The leaders of the Republican Party of India will, therefore, be well advised to take up these issues in a Constitutional manner with the State Governments and the appropriate Ministry of the Union Government instead of adopting an agitational approach.

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है । माननीय सदस्य का नाम आगे है ।

श्री बागड़ी : मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, मैं उस के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । आप एक मिनट सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । श्री पांडे ।

श्री मौर्य : भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ने अपने चार्टर आफ़ डिमांड्ज में जो मांगें रखी हैं, क्या वे आदरणीय महात्मा गांधी के सिद्धान्तों और कांग्रेस दल के सिद्धान्तों, जिस की आज सरकार है, के अनुसार, उन के मुताबिक, उन से सम्बन्धित और उन से मिलती-जुलती हैं या नहीं, वे हुबहू वही हैं या नहीं; अगर हैं, तो अब तक उन का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ ?

श्री हाथी : जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, मैं ने कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ।

श्री मौर्य : पहली बात का जवाब दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि चार्टर आफ़ डिमांड्ज कांग्रेस की पालिसी और महात्मा गांधी के उसूलों के मुताबिक है या नहीं ।

श्री हाथी : डिमांड्ज में अलग अलग बातें हैं । जैसे एक पोट्रेट रखने की बात है । वह कोई सिद्धान्त की बात नहीं है । जो मांगें सिद्धान्तों के अनुसार हैं, क्वैस्टियन है उन के इम्प्लीमेंटेशन का अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है । लेकिन जहां कायदे और व्यवस्था का प्रश्न आता है, वहां उन के खिलाफ़ कार्यवाही करनी होती है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी । पहले वह व्यवस्था का प्रश्न रख लें ।

श्री बागड़ी : मैं आप से रक्षा चाहता हूं कि जो प्रश्न किया जाये, जो कि देशव्यापी प्रश्न हैं, उस का उत्तर देते हुए अगर मंत्री महोदय उन सारी बातों को छोड़ जायें कि किन किन प्रान्तों में गिरफ्तारियां हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कहां लाठी चार्ज हुआ है, क्या उसका नतीजा हुआ है, तो वह उत्तर बिल्कुल अपूर्ण रह जाता है । दो तीन माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं अगर आप एक एक सवाल पूछने की इजाजत देते हैं । इस तरह देश को प्रश्न की बुनियाद का बिल्कुल पता नहीं चलता है । मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं कि मंत्री महोदय को प्रश्न की मोटी मोटी चार पांच बातें तो बतानी चाहिएं ।

अध्यक्ष महोदय : वे सब बातें बयान नहीं हो सकतीं । कालिंग एटेन्शन नोटिस में ये बातें नहीं आ सकतीं कि फ़लां स्टेट में इतने गिरफ्तार हुए थे, इतने रिहा हुए, उन को इतनी सज़ा दी गई । माननीय सदस्य सवाल करें ।

श्री बागड़ी : हिन्दुस्तान बार-बार विदेशी मुल्कों से पिटता रहा है और उस का कारण यह है कि हिन्दुस्तान के चन्द ऊंची जात के लोग हमेशा इस देश में राज्य के सुखों को भोगते रहे हैं और बाकी

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल किस तरह हुआ ? अगर माननीय सदस्य पहले एक लैक्चर देंगे और फिर सवाल पर आयेंगे, तो बड़ा मुश्किल है । मैं उस की इजाजत नहीं दे सकता हूं । इस तरह मैं नहीं चल सकता हूं ।

श्री बागड़ी : आप को चलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी मजबूरी है ।

श्री बागड़ी : आप की मजबूरी जरूर है, लेकिन आप सोचें कि हिन्दुस्तान की यह जो लोक सभा है, वह सब लोगों की है, जिन से आप भी सम्बन्धित हैं । आप को तो खुले दिल से इजाजत देनी चाहिए, ताकि सरकार की ओर से कुछ उत्तर मिले और यह सत्याग्रह बन्द हो । (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : पहले तो मुझे लेक्चर होगा कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। उस के बाद एक भाषण होगा। उस के बाद सवाल आयेगा या नहीं, यह भी मालूम नहीं है।

मैंने आप से दरख्वास्त की है कि आप सवाल करें जिस से एल्युसिडेशन मिल जाय . . . . .

श्री बागड़ी : यह सब कुछ आप को करना है, हमारी बात सुननी है और सुन कर के सत्य असत्य जो है वह बतलाना है। हाथ उठाने से ही काम नहीं चल सकता है। उस के लिए ही हम यहां नहीं आये हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप सवाल करें।

श्री बागड़ी : इसी कारण हिन्दुस्तान चीन के मुकाबले में पिट गया था . . .

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री बागड़ी : सवाल कर रहा हूं।

हिन्दुस्तान के गरीब लोगों की जो बुनियादी आवश्यकतायें हैं उन की पूर्ति कहां तक हुई है, यह आप को बतलाना चाहिये। साथ ही मैं जानना चाहता हूं कि कुल हिन्दुस्थान में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, किन किन स्थानों पर कितनी कितनी बार लाठी चार्ज हुआ है और क्या सरकार जिन को उस ने गिरफ्तार किया है, उन को फौरी तौर पर रिहा कर के उन की जो मांगें हैं, उन मांगों पर पुनर्विचार करने का एलान करने को तैयार है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है बतलाना कि कितनों को सजा हुई है . . .

श्री बागड़ी : स्टेट्स से सवाल नहीं पूछा गया है, सेंटर से पूछा गया है। यह सेंटर को बतलाना है। केन्द्र से प्रश्न पूछा गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सेवक यादव।

श्री बागड़ी : मेरे सवाल का जवाब आ जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सेवक यादव क्या सवाल पूछना चाहते हैं ?

श्री बागड़ी : मेरे सवाल का जवाब आप दिलायेंगे . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप के सवाल की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

श्री बागड़ी : यह लोक सभा है, मुगल दरबार थोड़ है। हिन्दुस्तान की गरीब जनता का सवाल है। उस का जवाब आना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने बहुत सब्र किया है। आप को इस को वापिस लेना चाहिये।

श्री बागड़ी : सब्र न कीजिये बेशक। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप सब्र करें। कायदे और कानून के मुताबिक चलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं बागड़ी जी को कहता हूं कि वह अपने शब्दों को वापिस लें। क्या वह वापिस लेंगे उन को जो उन्हों ने कहा है ?

श्री बागड़ी : मैं ने यह नहीं कहा है कि यह मुगल दरबार है। मैं ने यह कहा है कि मुगल दरबार नहीं है, लोक सभा है। इस में कौन सी आपत्तिजनक बात है।

अध्यक्ष महोदय : मुगल दरबार नहीं है तो यह कोई मार्किट भी नहीं है।

श्री बागड़ी : यह जनता का दरबार है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन मैं इस को मछली मार्किट किसी भी हालत में बनने नहीं दूंगा।

श्री बागड़ी : अगर हिन्दुस्तान की गरीब जनता की आवाज जहां पहुंचाई जाती है, वह मछली मार्किट है तो हिन्दुस्तान की . .

अध्यक्ष महोदय : अगर आप जिद करेंगे तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा ।

श्री बागड़ी : आपका एक्शन मेरी तरफ अच्छा चलता है । एक्शन की वजह से गरीब जनता की आवाज लोक सभा में दबनी नहीं चाहिये ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इस को पहले खत्म हो जाने दीजिये ।

श्री राम सेवक यादव : व्यवस्था का प्रश्न अगर सुन लेंगे तो फैसला आसानी से हो जायगा ।

जहां तक इन के उन शब्दों का सवाल है, उन के सम्बन्ध में मुझ और कुछ नहीं कहना है सिवाय इस के कि यह लोक सभा है, जनता की सभा है, कोई मुगल दरबार नहीं है, यह मेरी नाकिस समझ में ऐसी चीज नहीं है जिस को आपत्तिजनक माना जाय । मैं साफ इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था यही है कि जो कहा कि मुगल दरबार नहीं है तो उन की शिकायत यह है कि जिस तरह से कारंवाई चल रही है वह लाज के अनुसार, नियमों के अनुसार नहीं चल रही है बल्कि मुगल दरबार की तरह से चल रही है । पार्लिमैंट और स्पीकर पर भी, सब पर इस में नुक्ताचीनी है और इसलिए इस की इजाजत नहीं दी जा सकती है । इन शब्दों को वह वापिस लें । मैं उन से जानना चाहता हूं कि वापिस इन शब्दों को लेंगे या नहीं ?

श्री बागड़ी : मैं इस को जनता का दरबार मानता हूं और मानूंगा, मुगल दरबार न मानता हूं और न मानूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : वापिस लेंगे या नहीं ?

श्री बागड़ी : जो मैंने कहा है उस को आप देखें . .

अध्यक्ष महोदय : अगर वापिस लेने को तैयार नहीं हैं तो मैं नाम ले कर कहता हूं कि बागड़ी जी आप ने अनुचित शब्द कहे हैं, ऐसे शब्द कहे हैं जो आप को नहीं कहने चाहियें थे । अगर आप उन को वापिस लेने को तैयार नहीं हैं तो मुझे मजबूर हो कर यह कहना पड़ेगा कि आप बाहर चले जायें ।

श्री बागड़ी : मैं आप .

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): He should not be allowed to explain it.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : इसको खत्म हो लेने दीजिये । बागड़ी साहब बाहर चले जायें ।

श्री बागड़ी : जनता का दरबार कहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मेम्बर साहब जायेंगे या नहीं ?

श्री बागड़ी : मैं जनता का दरबार मानता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : स्पीकर की अथोरिटी को माननीय दसस्य फ्लाउट कर रहे हैं । इस चीज को अब मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं ।

Shri Muthyal Rao (Mahbubnagar): Sir, I move:

"That Shri Bagri may be suspend from the service of the

House for the rest of the session."

श्री मधु लिमये : मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये । यह इसी के सम्बन्ध में है । इस सवाल को सदन के सामने रखने से पहले मेरी अर्ज आप सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि जो सवाल उठा है हुआ, उसको पहले हल कर लेने दीजिये । इस पर बहस नहीं हो सकती है, जब एक मोशन आ गया है ।

श्री मधु लिमये : बहस नहीं है । व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें ।

श्री मधु लिमये : व्यवस्था का प्रश्न पहले आ जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : लिमये साहब बैठ जायेंगे ।

मेरे सामने एक मोशन आया है ।

The question is:

"That Shri Bagri may be suspended from the service of the House for the rest of the session."

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) मेरा एक संशोधन है ।

अध्यक्ष महोदय : हाउस के फैसले के अनुसार .....

श्री किशन पटनायक : मेरा संशोधन है ।

श्री मधु लिमये : गलत कार्रवाई हो रही है । व्यवस्था का प्रश्न था ।

श्री किशन पटनायक : जब प्रस्ताव आया है तो संशोधन देने का हक रहता है सदस्यों को या नहीं ?

श्री राम सेवक यादव : "नहीं" की संख्या अधिक है, डिविजन होना चाहिये ।

श्री मधु लिमये : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि किस नियम के अन्तर्गत आपने कहा है कि इन शब्दों को वापस लिया जाए । क्या मैं यह जान नहीं सकता हूं

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं ? यह मेरा अधिकार है ।

श्री राम सेवक यादव : जब "नहीं" कहा जाता है और मत विभाजन की मांग की जाती है तो वह होना चाहिये या नहीं । आपका जो हुक्म है वह चलेगा । लेकिन कायदे से काम हो और मत विभाजन हो जाए । नियमों का उल्लंघन तो न हो ।

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन पर मैंने कभी ऐतराज नहीं किया है । जब भी मैंने किसी चीज को पुट किया है और मत विभाजन की मांग की गई है तो मत विभाजन हुआ है । इस वक्त बहुत शोरगुल हो रहा है । आप मत विभाजन चाहते हैं तो मैं करा देता हूं ।

श्री किशन पटनायक : मेरे संशोधन का क्या होगा ?

Mr. Speaker: Order, order. The lobbies have been cleared. I must make it clear that it is not for the first time that I have not allowed this amendment; the same has been held every time the question has arisen. This motion cannot admit of any amendments. In 1962 also the same was held. This is clear in the previous decisions.

श्री किशन पटनायक : एक डिसीजन से तो ऐसा नियम नहीं बन जाता ।

Mr. Speaker: Therefore, this is not a new thing. Now, the question is:

"That Shri Mani Ram Bagri be suspended from the service of the House for the rest of the Session."

The Lok Sabha divided:

Division No. 13] **AYES** **[12.53 hrs.**

Abdul Rashid, Bakshi
Achal Singh, Shri
Achuthan, Shri
Aney, Dr. M. S.
Ankineedu, Shri
Azad, Shri Bhagwat Jha
Babunath Singh, Shri
Bade, Shri
Bajaj, Shri Kamalnayan
Bal Krishna Singh, Shri
Balmiki, Shri
Barman, Shri P. C.
Basaant Kunwari, Shrimati
Basppa, Shri
Basumatari, Shri
Basawant, Shri
Besra, Shri
Bhagwati, Shri
Bhakat Darshan, Shri
Bhanja Deo, Shri L. N.
Bhanu Prakash Singh, Shri
Bhattacharyya, Shri C. K.
Bheel, Shri P. H.
Bist, Shri J. B. S.
Borooah, Shri P. C.
Brajeshwar Prasad, Shri
Brij Basi Lal, Shri
Brij Raj Singh, Shri
Brij Raj Singh-Kotah, Shri
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chandak, Shri
Chandrabhan Singh, Shri
Chandriki, Shri
Chattarjee. Shri N. C.
Chaturvedi, Shri S. N.
Chaudhury, Shri Chandramani La
Chaudhuri, Shrimati Kamala
Chavan, Shri D. R.
Chavda, Shrimati Joraben
Chunilal. Shri
Dandeker, Shri N.
Das, Dr. M. M.
Das, Shri B. K.
Deo, Shri P. K.
Desai, Shri Morarji
Dhuleswar Meena, Shri
Dighe, Shri
Dubey, Shri R. G.
Dwivedi, Shri M. L.
Gaekwad, Shri Fateshinhrao
Gajraj Singh Rao, Shri
Goni. Shri Abdul Ghani
Guha, Ahri A. C.
Gupta, Shri Shiv Charan
Haq, Shri M. M.
Harvani, Shri Ansar
Hazarika, Shri J. N.
Heda, Shri
Hem Raj, Shri
Himatsingka, Shri
Jadhav, Shri M. L.
Jadhav, Shri Tulshidas
Jagjivan Ram, Shri
Jain, Shri A. P.
Jamunadevi, Shrimati
Joshi, Shrimati Subhadra
Jyotishi, Shri J. P.
Kachhavaiya, Shri Hukam Chand
Kajrokar, Shri
Kamble, Shri
Kanaungo. Shri
Kapur Singh, Shri
Kedaria, Shri C. M.
Keishing, Shri Rishang
Khan, Shri Osman Ali
Khanna, Shri Mehr Chand
Kohor, Shri
Kotoki, Shri Liladhar
Konjalgi, Shri H. V.
Kripa Shankar, Shri
/Krishna, Shri M. R.
Krishnamachari, Shri T. T.
Krishnapal Singh, Shri
Lahtan Chaudhury, Shri
Lakshmikanathamma, Shrimati
Lalit Sen, Shri
Laxmi Bai, Shrimati
Mahadeva Prasad, Dr.
Mahtab, Shri
Mahishi, Shrimati Sarojini
Malaichami, Shri
Malaviya, Shri K. D.
Malhotra, Shri Inder J.
Manaen, Shri
Mandal, Dr. P.
Mandal Shri J.
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Mantri, Shri
Masani, Shri M. R.
Marandi, Shri
Masuriya Din, Shri
Mathur, Shri Shiva Charan
Mehrotra, Shri Braj Bihari
Melkote, Dr.
Mengi, Shri Gopal Datt
Minimata, Shrimati
Mirza, Shri Bakar Ali
Mishra, Shri Bibhuti
Misra, Shri Mahesh Dutta
Misra, Shri Shyam, Dhar
Mohanty, Shri Gokulananda
Morarka, Shri
More, Shri K. L.
More, Shri S. S.
Mukherjee, Shri H. N.
Mukherjee, Shrimati Sharda
Munzni, Shri David
Naik, Shri D. J.
Nallakoya, Shri
Nanda, Shri
Naskar, Shri P. S.
Nayak, Shri Mohan
Nigam, Shrimati Savitri
Niranjan Lal, Shri
Oza, Shri
Pandey, Shri R. S.
Pandey, Shri Vishwa Nath
Panna Lal, Shri
Pant, Shri K. C.
Parashar, Shri
Patel, Shri Chhotubhai
Patel, Shri Man Sinh P.
Patel, Shri N. N.
Patel, Shri P. R.
Patel Shri Rajeshwar,
Patil, Shri D. S.
Patil, Shri S. B.
Patil, Shri S. K.
Patil, Shri V. T.
Patnaik, Shri B. C.
Pattabhi Raman, Shri C. R.
Pillai, Shri Nataraja
Prabhakar, Shri Naval
Pratap Singh, Shri
Rai, Shrimati Sahodrabai
Rajdeo Singh, Shri
Raju, Dr. D. S.
Raju, Shri D. B.
Ram Sewak, Shri
Ram Subhag Singh, Dr.
Ram Swarup, Shri
Ramakrishnan, Shri P. R.
Ramdhani Das, Shri
Rampure, Shri M.
Rananjai Singh, Shri
Rane, Shri
Rao, Shri Hanmanth
Rao, Shri Jaganatha
Rao, Shri Krishnamoorthy
Rao, Shri Muthyal
Rao, Shri Ramapathi
Rao, Shri Thirumala
Rattan Lal, Shri
Raut, Bhola
Rawandele, Shri
Reddy, Shri Narasimha
Reddy, Shrimati Yashoda
Sadhu Ram, Shri
Shah, Dr. S. K.
Sahu, Shri Rameshwar
Saigal, Shri A. S.
Sanji Rupji, Shri
Saraf, Shri Sham Lal
Satyabhama Devi, Shrimati.
Sen, Shri P. G.
Shah, Shri Manabendra
Shah, Shrimati Jayaben
Sham Nath, Shri
Sharma Shri A. P.
Sharma, Shri D. C.
Shashi, Ranjan, Shri

Shastri, Shri Ramanand
Sheo Narain, Shri
Shree Narayan Das, Shri
Shukla, Shri Vidya Charan
Shyam Kumari Devi, Shrimati
Siddananjappa, Shri
Sidheswar Prasad, Shri
Singh, Shri A. P.
Singh, Shri D. N.
Singh, Shri Y. D.
Singha, Shri Y. N.
Sinhasan Singh, Shri
Solanki, Shri
Sonvane, Shri
Soy, Shri H. C.
Srinivasan, Dr. P.
Subbaraman, Shri
Subaramaniam, Shri C.
Subaramanyam, Shri T.
Surendra Pal Singh, Shri
Tahir, Shri Mohammad
Thimmaiah, Shri
Tiwary, Shri K. N.
Tiwary, Shri R. S.
Trivedi, Shri U. M.
Tyagi, Shri
Upadhyaya, Shri Shiva Dutt
Vaishya, Shri M.B.
Valvi, Shri
Varma, Shri
Varma, Shri Ravindra
Veerappa, Shri
Venkatasubbaiah, Shri P.
Verma, Shri Balgovind
Vidyalankar, Shri A. N.
Virbhadra Singh, Shri
Vyas, Shri Radhelal
Yadava, Shri B. P.
Yudhvir Singh, Shri
Yusuf, Shri Mohammad

NOES

Bagri, Shri
Limaye, Shri Madhu
Maurya, Shri B. P.
Patnaik, Shri Kishan
Rameshwaranand, Shri
Shinkre, Shri M. P.
Yadav, Shri Ram Sewak

श्री किशन पटनायक : यह मछली बाजार वाला हिस्सा भी ठीक नहीं है ।

Shri P. K. Deo (Kalahandi): Sir, I am for "Ayes".

Mr. Speaker: The result of the division is: Ayes—221; Noes—7.

The motion was adopted.

Mr. Speaker: Now I ask Shri Bagri to leave the House in pursuance of this decision of the House. Then, I will have to ask the Marshal to go and remove the Member.

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): I completely dissociate myself and disapprove of what has happened in the House. I think, he should obey the decision of the House and leave the House immediately.

Shri Bagri:**

Mr. Speaker: Nothing said by him after the decision of the House should be recorded.

12.55 hrs.

(Shri Bagri then left the House).

Shri Kapur Singh (Ludhiana): It is going to be a day of martyrs in this House. So it appears.

Mr. Speaker: I am glad that the Leader of the SSP declared it unequivocally that he dissociates himself. I applaud that spirit. That precedent would be set, I think, and we will follow that procedure. I am thankful to him.

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं और हम चाहते हैं कि आपका आदर हो, मैं स्वयं चाहता हूं कि आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन न हो । हमारा यह मनोभाव है, परन्तु मैं कई बार ऐसा देखता हूं कि जब मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं तो आप उनको उत्तर नहीं देने देते । इससे (*(Interruptions)*) हम लोगों में यह भावना उत्पन्न होती है कि जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो कि इस कुर्सी पर परमेश्वर की तरह हमारे अधिकारों के रक्षक के रूप में बैठे हैं, वह मंत्री महोदय के प्रभाव में आ जाते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि कोई भी कार्य आप की तरफ से ऐसा न हो जिसके कारण हमारी तरफ से ऐसा भाव निकले जिससे आपके हृदय को कष्ट पहुंचे । मेरा मतलब यह नहीं है कि जो ऐसे काम यहां होते हैं वे केवल

**Not recorded.

[श्री रामेश्वरानन्द]

आपको कष्ट पहुंचाने के लिये होते हैं। परन्तु थोड़ा सा आपको भी अपने को वश में रखना चाहिये, आप हमारे अधिकारों के रक्षक हो कर यहां बैठे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वामी जी से विनय के साथ कहूंगा कि उनका मश्वरा तो बड़ा अच्छा है मगर अगर किसी वक्त वह मेरे पास आ जायें या मैं उनके चरणों में चला जाऊं और तब वह शिक्षा दिया करें तो ज्यादा अच्छा होगा । श्री राम सेवक यादव कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें ।

श्री रामसेवक यादव : जो इस देश के हरिजन और दलित लोग हैं जिनके लिये संविधान में, और जैसा कि मंत्री महोदय ने बतलाया, कई कानूनों में उनके लिये सुरक्षा है, उनके बारे में सारी चीज आ कर अटकी है केवल कथनी और करनी के सवाल को लेकर । उन पर अमल नहीं होता है । ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय तत्काल कोई ऐसा कदम उठायेंगे कि जो उनकी न्यायोचित मांगें हैं, जो कि कानून के अनुसार मान भी ली गई हैं, उन पर अमल हो और उनको रिहाई मिले और उसके बाद उनको तत्काल छोड़ दिया जाये ।

श्री हाथी : वही मैंने स्टेटमेंट में कहा है कि जो जो बातें ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट को करना है, वह होती हैं । लेकिन जिसके लिये हम तेजी से कदम उठाना चाहते हैं उनके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐक्शन लेती है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी सारी बातों को वह लेती है । इस सम्बन्ध में जिस तरह से त्वरित गति से काम होना चाहिये उस तरह से गवर्नमेंट करेगी ।

श्री किशन पटनायक : मैं प्रश्न पूछने के पहले एक बात कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल प्रश्न पूछिये ।

श्री किशन पटनायक : क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि अभी तक इस एजिटेशन के सिलसिले में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और कितने रिहा हुए हैं, और क्या अभी तक गिरफ्तारियां हो रही हैं ?

श्री हाथी : गिरफ्तारियां अलग अलग स्टेटों में हुई हैं । उनके आंकड़ अभी मेरे पास नहीं हैं ।

श्री मधु लिमये : मेरी जानकारी के अनुसार करीब करीब 40 हजार लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और लाखों लोगों ने इस में हिस्सा लिया है । मंत्री महोदय ने यह मान लिया कि उन की मांगें जो हैं वह न्यायपूर्ण हैं । इसलिये मेरा प्रश्न है कि क्या उन सभी लोगों को छोड़ कर, उन के नेताओं को सम्मानपूर्ण ढंग से समझौते और बातचीत के लिये गृह मंत्री बुलाने के लिये तैयार हैं ।

श्री हाथी : जो गिरफ्तारियां हुई हैं वह तो अलग अलग स्टेट्स में हुई हैं, और जो वहां की शांति और व्यवस्था का प्रश्न है उस को उन्हें ही सम्भालना है । इसलिये इस में मेरा कोई एश्योरेंस काम नहीं आयेगा, और मैं दे भी नहीं सकता ।

श्री मधु लिमये : यह तो कानूनी जवाब हो गया । आप सलाह तो दे सकते हैं राज्य सरकारों को ।

श्री मौर्य : मैं सूचना के आधार पर एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं । आप दूसरा काम चलने दीजिये ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आप से कहना चाहता हूं । मैं ने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी । आप उस के बारे में भी कुछ कहें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आप से कहा कि आप काम चलने दीजिये ।

Shri Nath Pai (Rajapur): In view of the confusion about the admissibility of our notice, some of us are in a quandary. Since this matter is vital, you may kindly permit us to....

Mr. Speaker: I want to be excused now.

Shri Nath Pai: Towards the fag end of the session, you can always extend the time.

Mr. Speaker: I want to be excused now.

श्री मौर्य : इस सूचना के आधार पर

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं ने कल एक बात

अध्यक्ष महोदय : : अब आप चलने दीजिये ।

श्री मधु लिमये मैं ने कल एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना संसद्-कार्य मंत्री के खिलाफ़ दी थी उस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

13.01 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

HALF-YEARLY REPORT ON ACTIVITIES OF COIR BOARD AND WORKING OF COIR INDUSTRY ACT FOR THE FIRST HALF OF THE YEAR 1964-65.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): On behalf of Shri Manubhai Shah, I beg to lay on the Table a copy of the Half-yearly Report on the activities of the Coir Board and the working of the Coir Industry Act, 1953 for the period from the 1st April to 30th September, 1964, under sub-section (1) of section 19 of the Coir Industry Act, 1953. [*Placed in Library. See* No. LT-3706/64].

NOTIFICATIONS UNDER ALL INDIA SERVICES ACT

Statement correcting answer given to S. Q. 304 answered on 2nd December, 1964

Shri Hathi: I beg to lay on the Table:—

(1) a copy each of the following Notifications under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1961:—

(i) G.S.R. 1716, dated the 5th December, 1964, making certain amendments to Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954;

(ii) The Indian Administrative Service (Cadre) Amendment Rules, 1964, published in Notification No. G.S.R. 1718, dated the 5th December, 1964.

(iii) The Indian Police Service (Cadre) Amendment Rules, 1964, published in Notification No. G.S.R. 1719, dated the 5th December, 1964.

[*Placed in Library. See* No. LT-3707/64].

(2) A statement corecting the answer given on the 2nd December, 1964 to a supplementary by Shri S. M. Banerjee, on Starred Question No. 304 regarding Indo-Pak Border Violations.

STATEMENT

Question (Supplementary):

33 persons have been killed. Men are also being lifted. How does he say that there were only incidents of cattle lifting?

Answer:

There were 17 cases of cattle lifting, 16 cases of theft and 19 cases of kidnapping and men entering our territory. Wherever they have entered we have tried to chase them.